1260

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–सिं०यो०मो०–75/2024–59 /पटना, दिनांक–4/2/25

संकल्प

बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 (बिहार अधिनियम – 11,1998) की धारा 46 के अंतर्गत जल उपयोगकर्ता संघ को जल संसाधन विभाग के वितरिका लघु वितरिका या जलमार्ग अन्तरित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के सफल संचालन के उद्येश्य से विभिन्न विभागों एवं विशेषज्ञों तथा कृषकों के बीच समन्वय एवं नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक 279 दिनांक 31.07.2003 से एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। दिनांक–10.01.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के सफल संचालन के उद्येश्य हेतु पूर्व से गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति को निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता है:–

1. विकास आयुक्त, बिहार, पटना – अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य सचिव
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना – सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना – सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना – सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग बिहार, पटना – सदस्य
8. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना – सदस्य
9. ईश्वर चन्द्र ठाकुर, सेवानिवृत्त, अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना (पी०आई०एम० विशेषज्ञ) – सदस्य
10. जल संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर नामित कृषक प्रतिनिधि (अधिकतम तीन सदस्य) – सदस्य

2. राज्यस्तरीय संचालन समिति का मुख्य कार्य नीति स्तर पर कार्यक्रम का मार्ग दर्शन करना तथा उपर्युक्त विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा । जल संसाधन विभाग अंतर्गत सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कोषांग द्वारा समिति से संबंधित कार्यो का सम्पादन किया जायेगा।

3. समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर या यथा आवश्यक अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तिथि पर होगी ।

4. कृषक प्रतिनिधि को समिति के बैठक वाले दिन बैठक में भाग लेने पर 1000/– प्रतिदिन की दर से एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा ।

5. उपर्युक्त व्यय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

4/2

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

262

ज्ञाप संख्या– सिं०यो०मो०–75 / 2024–59 / पटना, दिनांक– 4/2/25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/2

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञाप संख्या – सिं०यो०मो०–75 / 2024– 59 / पटना, दिनांक– 4/2/25

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना एवं संयुक्त सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

4/2

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञाप संख्या – सिं०यो०मो०–75 / 2024– 59 / पटना, दिनांक– 4/2/25

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग / सचिव, कृषि विभाग / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / सचिव, पंचायती राज विभाग / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग / निबंधन, महानिरीक्षक, बिहार, पटना / ई० ईश्वर चन्द्र ठाकुर, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/2

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञाप संख्या – सिं०यो०मो०–75 / 2024– 59 / पटना, दिनांक– 4/2/25

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/2

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञाप संख्या – सिं०यो०मो०–75 / 2024– 59 / पटना, दिनांक– 4/2/25

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4/2

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

261

ज्ञापांक–सिं०यो०मो०–75/2024–63 पटना, दिनांक–5/2/25

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ निदेशक, जल एवं भूमि प्रबधंन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/सिंचाई, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन एवं सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/02/2025

(नन्द कुमार झा)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक–सिं०यो०मो०–75/2024–63 पटना, दिनांक–5/2/25

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को कार्यवाही की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/02/2025

(नन्द कुमार झा)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन